

e Fiat
+

26



न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष राजस्व मण्डल रवाकियर {मध्यप्रदेश}

अपील प्रकरण क्रमांक-

अपील 310 II/06

सन् 2006

न्यायालय कलेक्टर

जिला छतरपुर म०प्र०

स्तुतकर्ता का नाम P50

श्री अविनाश उज्ज्वल

शाखा का नाम 15/2/2006

दिनांक 15/2/2006

अधीक

1. शांतिनाई बेबा धनीराम कोरी

2. हीरा कोरी पुत्र धनीराम कोरी

3. धीराम कोरी पुत्र धनीराम कोरी

4. कन्हैया कोरी पुत्र धनीराम कोरी { अवयस्क { त्नी तरपरस्त माँ श्रीमती शांति बाई पत्नी धनीराम कोरी समस्त निवासीगण ग्राम खरौंही तहसील राजनगर

जिला छतरपुर {म०प्र०}

अपीलार्थीगण

20/2/06 प्राप्त

बनाय

जयपुर. सुमेरा तनय नन्नाई कोरी नि० ग्राम खरौंही

तहसील राजनगर, जिला छतरपुर म०प्र०

2. मुन्नीलाल कुर्मी तनय रज्जू कुर्मी

3. कुंजीलाल तनय रज्जू कुर्मी

4. मोतीलाल तनय रामचरोते खरे

निवासीगण खजुराहो, तहसील राजनगर

जिला छतरपुर म०प्र०

5. श्रीमती मुनिधा पत्नी बंदी कोरी पुत्री धनीराम कोरी

निवासी ग्राम नुना तहसील नौगांव जिला छतरपुर म०प्र०

6. श्रीमती रती पत्नी गोकुल कोरी निवासी ग्राम सुक्वां

पहाडी तहसील राजनगर जिला छतरपुर म०प्र०

7. श्रीमती बुधिया पत्नी बाबूलाल कोरी पुत्री स्व०

श्री धनीराम कोरी निवासी ग्राम रानीपुरा तहसील-

राजनगर, जिला छतरपुर म०प्र०

8. शासन मध्यप्रदेश

उत्तरार्थीगण

- द्वितीय अपील-

अपील अंतर्गत धारा 44 {2} {तीन} म०प्र०भू
राजस्व संहिता 1959

Handwritten signature or mark.

२०।

प्र. क्र. ३१०-११/०६ अपील

सुम्मेरा (मृत) वारिशा

- 1 लक्ष्मीबाई देवा सुम्मेरा
 - ii लक्ष्मण (ii) हेरीराम
 - (iv) बहादुर पुत्राण स्व. सुम्मेरा
- निवासीगण ग्राम खरेही तह. राजनगर
जिला - दमरपुर (म.प्र.)

प्रत्यक्षीगण
20-6-16

माननीय न्यायालय के आदेशाधीन दिनांक 20-6-16 के पालन में उपरोक्तानुसार संशोधन किया


R
SP

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक 310-11/2006 अपील जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6-07-2016	<p>1- अपीलार्थी के अधिवक्ता मुकेश भार्गव उपस्थित उनके तर्क सुने।</p> <p>2- मैंने प्रकरण का अवलोकन किया। यह अपील अपर आयुक्त सागर संभाग, सागर के अपील प्र.कं. 183/अ-21 वर्ष 2000-01 में पारित आदेश दिनांक 17.11.2005 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।</p> <p>3- अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्क में मुख्य रूप से तर्क दिया गया कि स्व. धनीराम कोरी को ग्राम खरौही की प्रश्नाधीन भूमि ख.नं. 435/1 रकवा 14.28 एकड़ भूमि का पट्टा दिनांक 02.05.72 को स्वीकृत हुआ था। जिसे बाद में भूमिस्वामी अधिकार प्राप्त हो गये थे। अपीलार्थीगण के पिता धनीराम कोरी (मृतक) ने अपने जीवनकाल में पट्टे में प्राप्त भूमि में से कुछ रकवा प्रत्यर्थी कं. 2 व 3 को विक्रय कर दिया था। पट्टेदार धनीराम के मृत होने पर शेष बचे रकवा पर वारिशान अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थी 5 ता 7 के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज हो गई थी। धनीराम कोरी (मृत) के वारिशान अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थी 5 ता 7 को रूपयों की आवश्यकता पड़ने पर भूमि ख.नं. 435/1 रकवा 1.285हे.</p>	

कृ.पृ.उ.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	<p>भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा प्रत्यर्थी क्रं. 4 को विक्रय कर दी। प्रत्यर्थी क्रं. 1 सुम्मेरा (मृतक) ने कलेक्टर के समक्ष शिकायत की थी। जबकि बाद भूमि का पट्टा एक मात्र धनीरामकोरी को प्राप्त हुआ था। प्रत्यर्थी सुम्मेरा ने अनावश्यक रूप से शिकायत की थी जिसके आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध करते हुये कलेक्टर छतरपुर द्वारा विक्रय पत्र को शून्य घोषित करते हुये प्रश्नाधीन भूमि शासकीय घोषित कर दी गयी। जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने भी स्थिर रखा ।</p> <p>4- अपीलार्थी के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का अवलोकन किया। अपीलार्थी के तर्कों एवं प्रस्तुत अपील मेमो से यह स्पष्ट है कि पट्टेदार धनीराम कोरी (मृतक) ने वाद भूमि में से इस प्रकरण में प्रत्यर्थी क्रं. 2 व 3 को एवं एक अन्य व्यक्ति को दो अलग-अलग विक्रय पत्र संपादित कर विक्रय कर दी थी शेष बचा रकवा धनीराम के वारिशान अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी 5 ता 7 ने प्रत्यर्थी क्रं. 4 को विक्रय कर दी । इस प्रकार धनीराम कोरी के वारिशान अपीलार्थीगण के पास कोई रकवा शेष नहीं बचा है। बाद भूमि के क्रेता प्रत्यर्थी क्रं. 2 व 3 एवं 4 ने पृथक-पृथक दो अपील इस न्यायालय के समक्ष पेश की गई है ऐसी स्थिति में उक्त अपील को गुण दोषों पर निराकृत किये जाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है।</p> <p style="text-align: center;"></p>	



XXX (a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक 310-11/2006 अपील जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
E/1/2006	उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील इसी स्तर पर समाप्त की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य	